कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 180/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 09.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 09.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट, दिनांक 09.05.2026
थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

चोरी की घटनाएं कारित करने वाले गिरोह का सदस्य एवं 50000/- रुपये का इनामियां गिरफ्तार

गैंगेस्टर एक्ट में फरार चल रहा 50 हजार का इनामियां गिरफ्तार

पूर्व की घटनाएं-

दिनांक 22.08.2024 को थाना निजामाबाद वादी मुकदमा रामअचल राय पुत्र श्री रामजनक राय निवासी सोढरी थाना निजामाबाद , आजमगढ द्वारा तहरीर दिया गया की दिनांक 20/21.08.2024 की रात्रि मे आवेदक के घर पर अज्ञात चोरों ने ताला तोडकर 01 हार, 02 चैन, 03 लेडिज अंगुठी, 02 पुरुष अंगुठी, 01 मंगल सुत्र व 50 हजार रुपये नगद चोरी कर लिये जिसके आधार पर थाना निजामाबाद आजमगढ पर मु0अ0सं0- 408/2024 धारा -305, 331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

दिनांक 02.09.2024 को वादी मुकदमा अरशद जमाल पुत्र रईश अहमद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद, आजमगढ द्वारा थाना निजामाबाद पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 01.09.2024 की रात्री मे आवेदक के घर से 02 जोडी झाला, 01 चैन सोने व 48,000/- रुपया नकद चोरी कर लिया गया है। जिसके आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0- 428/2024 धारा -331(4), 305 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

दिनांक 02.12.2024 को वादी मुकदमा मनोज कुमार यादव पुत्र गामा यादव निवासी सँवरुपुर थाना कन्धरापुर, आजमगढ द्वारा थाना निजामाबाद पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 02.12.2024 को प्रा0वि0 प्यारेपुर के रसोई घर से 01 सिलेण्डर गैस चुल्हा, 01 ड्रम, 02 भगोना, 01 बडा तवा, 02 प्लेट चोरी हो गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 547/2024 धारा -305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

उपरोक्त मुकदमो की विवेचना के दौरान उ0नि0 मो0 शमशाद खाँ मय हमराह द्वारा दिनांक 18.12.2024 को मुखबीर खास की सूचना पर शेरपुर तिराहा से 1.अब्दुल वाहिद पुत्र शेर अली गावँ मुस्लिम पट्टी थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष, 2. रईस उर्फ लम्बू पुत्र इरशाद गावँ फरिहा थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया जिनके पास से उपरोक्त मुकदमों में चोरी गये सामान 01 मंगल सूत्र (पीली धातु), 02 झाला (पीली धातु) व, 01 भगोना, 02 खाने वाला प्लेट, 01 गैस चुल्हा व 10,000/- रुपये बरामद हुआ था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तो को जेल भेजा गया था।

दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि उपरोक्त अभियक्तों का एक संगठित गिरोह है जिनके सदस्य मिलकर आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ पाने के लिए अपराध करते है। इस गिरोह की सक्रियता जनपदीय स्तर पर है। जिन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु थाना प्रभारी निजामाबाद की रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ़ के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 29.01.2026 को अभियुक्तों के विरूद्ध थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ पर मु0अ0सं0-30/26 धारा -2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0गिरोह बन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 बनाम 1. अब्दुल वाहिद पुत्र शेर अली निवासी मुस्लीम पट्टी थाना निजामाबाद , आजमगढ (गैंग लीडर) 2. रईस उर्फ लम्बू पुत्र इरशाद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद , आजमगढ पंजीकृत किया गया था।

जिसमें अभियुक्त रईस उर्फ लम्बू पुत्र इरशाद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद, आजमगढ लगातार वांछित/फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु दिनांक 01.05.2026 को श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा 50,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था ।

गिरफ्तारी का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा वांछित/फरार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 08.05.2026 को थानाध्यक्ष गम्भीरपुर उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी मय हमराह व एसटीएफ फील्ड यूनिट प्रयागराज की टीम प्रभारी उ0नि0 रणेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा उपरोक्त मुकदमें में फरार चल रहे 50000/- रूपये के इनामिया रईस उर्फ लम्बू पुत्र इरशाद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद, आजमगढ को पटेल ढाबा (बिन्द्रा बाजार) से समय करीब 19.15 बजे गिरफ्तार चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	30/2026	2(ख)(I)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाजविरोधी क्रियाकलाप अधि.1986	थाना निजामाबाद	आजमगढ़
2	428/2024	धारा -331(4),305, 317(2) बीएनएस	थाना निजामाबाद	आजमगढ़
3	547/2024	धारा -305(ए)/317(2) बीएनएस	थाना निजामाबाद	आजमगढ़
4	408/24	धारा 305,331(4), 317(2) बीएनएस	थाना निजामाबाद	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रईस उर्फ लम्बू पुत्र इरशाद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद, आजमगढ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार त्रिपाठी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. उ0नि0 रणेन्द्र कुमार सिंह एसटीएफ फील्ड यूनिट प्रयागराज
3. मुख्य आरक्षी पंकज सिंह एसटीएफ फील्ड यूनिट प्रयागराज
4. मुख्य आरक्षी संतोष कुमार एसटीएफ फील्ड यूनिट प्रयागराज
5. मुख्य आरक्षी रोहित सिंह एसटीएफ फील्ड यूनिट प्रयागराज
6. मुख्य आरक्षी किशन चन्द्र एसटीएफ फील्ड यूनिट प्रयागराज
7. का0 विश्वामित्र थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
8. रि0का0 अनूप कुशवाहा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
9. म0का0 मनीषा यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस-नोट दिनांक 09.05.2026

राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायपालिका व पुलिस विभाग के समन्वय से मिशन शक्ति 5.0 के तहत 17 दम्पत्ति जोडों का हुआ पुनर्मिलन

➡ न्यायिक प्रक्रिया को मानवीय संवेदना से जोड़ते हुए मिशन शक्ति 5.0 के तहत आज दिनांक 09 मई 2026 को आयोजित *राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 17 जोड़ों ने आपसी सहमति से अपने वैवाहिक विवादों का समाधान कर पुनः साथ जीवन प्रारंभ करने का निर्णय लिया।* *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुवन कुमार सिंह के समन्वय से 17 दम्पत्ति जोडों को फुल-माला व उपहार देकर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदा किया गया, इस सकारात्मक पहल से परिवारों में पुनः खुशियाँ लौट आईं।

➡ इस संपूर्ण प्रक्रिया में *मा0 प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय श्री एहसानउल्ला खान, अपर प्रधान पारिवारीक न्यायाधीश 1 श्री दिनेश कुमार मिश्रा, अपर प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश 2 श्री बालकृष्णन , सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमति निकिता राजन, परामर्शदाता 1-श्री कुलदीप कुमार सिंह, 2- श्रवण कुमार गुप्ता, 3- विनय कुमार तिवारी* व पुलिस प्रशासन का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय रहा। मा0 न्यायालय व पुलिस अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर, विश्वास और सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझौता कराने हेतु निरंतर प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 17 बिखरते परिवार पुनः एकजुट हो गये।

➡ राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों का त्वरित एवं शांतिपूर्ण समाधान न केवल न्यायालयों पर लंबित मामलों को कम करने में सहायक सिद्ध हुआ, बल्कि इससे संबंधित पक्षों को मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक राहत भी प्राप्त हुई।

➡ कार्यक्रम के सफल आयोजन में न्यायिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन एवं अधिवक्तागण व संबंधित विभागों के समन्वय ने यह सिद्ध किया कि संवेदनशीलता, संवाद और सहयोग से पारिवारिक विवादों का स्थायी समाधान संभव है।

➡ मिशन शक्ति 5.0 के तहत चलाया गया यह पहल समाज के लिए एक प्रेरणादायक है तथा पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के सहयोग से मा0 न्यायालय से ही दम्पत्ति जोडों को फूल -माला व उपहार देकर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदा किया गया। मंन्त्रोच्चारण के बीच माला पहनाकर दम्पत्तियों ने मा0 न्यायालय व पुलिस प्रशासन को कोटी कोटी धन्यवाद दिया।

➡ मा0 न्यायालय के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश श्री एहसानउल्ला खान महोदय ने अपने सम्बोधन में कहा कि 17 दम्पत्तियों को जो कई वर्षो से अलग रह रहे थे आज उनका पुनर्मिलन देखकर काफी हर्ष हो रहा है। उपस्थित दम्पत्तियों को सम्बोधित करते हुए मा0 न्यायाधीश ने कहा कि विवाद हर परिवार में होता है। सभी को आपसी समझ व बुद्धिमानी से विवाद का सामाधान घर परिवार में ही कर लेना चाहिए। मा0 न्यायाधिश महोदय ने भविष्य के लिए सभी दम्पत्तियों को शुभकामना देते हुए विदा किया।

प्रेस नोट

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

➡ आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत जब्त अवैध शराब का कराया गया विनष्टीकरण

➡ 20 मुकदमों में बरामद लगभग 250.56 लीटर अवैध शराब न्यायालय के आदेश पर नष्ट

➡ लगभग 04 लाख रुपये कीमत की अवैध शराब को नियमानुसार कराया गया विनष्ट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा मालों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना जहानागंज पुलिस द्वारा विभिन्न तिथियों में आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत जब्त की गयी अवैध शराब

का विनष्टीकरण कराया गया। मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ से आदेश प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 09.05.2026 को थाना जहानागंज परिसर में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कुल 20 मुकदमों में बरामद लगभग 250.56 लीटर अवैध शराब, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 04 लाख रुपये है, को नष्ट कराया गया।

उक्त कार्यवाही नायब तहसीलदार जहानागंज तहसील सदर श्री प्रवीण वर्मा एवं थानाध्यक्ष जहानागंज श्री अतुल कुमार मिश्रा की उपस्थिति में सम्पन्न करायी गयी। विनष्टीकरण की कार्यवाही के दौरान जब्त अवैध शराब को नाली में गिराकर नष्ट किया गया तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया को नियमानुसार पूर्ण कराया गया।

प्रेस नोट

थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़

➡आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत जब्त अवैध शराब व ताड़ी का कराया गया विनष्टीकरण

➡ 10 मुकदमों में बरामद लगभग 90 लीटर अवैध देशी शराब व 30 लीटर ताड़ी मा0 न्यायालय के आदेश पर नष्ट

➡लगभग 01 लाख रुपये कीमत की अवैध शराब व ताड़ी को नियमानुसार कराया गया विनष्ट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा मालों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना मेंहनाजपुर पुलिस द्वारा विभिन्न तिथियों में आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत जब्त की गयी अवैध देशी शराब एवं ताड़ी का विनष्टीकरण कराया गया। मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ से आदेश प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 09.05.2026 को थाना मेंहनाजपुर परिसर में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कुल 10 मुकदमों में बरामद लगभग 90 लीटर अवैध देशी शराब व 30 लीटर ताड़ी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 01 लाख रुपये है, को नष्ट कराया गया।

उक्त कार्यवाही श्री राजकुमार बैठा उपजिलाधिकारी तहसील लालगंज, श्री भूपेण पाण्डेय क्षेत्राधिकारी लालगंज एवं श्री अखिलेश कुमार सिंह थानाध्यक्ष थाना मेंहनाजपुर की उपस्थिति में सम्पन्न करायी गयी। विनष्टीकरण की कार्यवाही के दौरान जब्त अवैध देशी शराब व ताड़ी को जमीन के अन्दर गड्ढे में गिराकर नष्ट किया गया तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया को नियमानुसार पूर्ण कराया गया।

प्रेस नोट

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

➡दवा-इलाज के दौरान महिला की मृत्यु के मामले में चिकित्सक गिरफ्तार

➡इलाज में लापरवाही का आरोप, मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने अभियुक्त डॉक्टर को दबोचा

दिनांक 07.05.2026 को वादी मुकदमा सुरेन्द्र बिन्द पुत्र सोनई बिन्द निवासी ग्राम खम्हौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गयी कि उसकी पत्नी पूनम बिन्द उम्र लगभग 32 वर्ष के पेट में दर्द होने पर प्राथमिक उपचार हेतु दिनांक 07.05.2026 को समय करीब 06 बजे अभियुक्त डा0 चन्द्रसेन यादव पुत्र श्री प्रकाश यादव निवासी कदनापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के क्लीनिक मुक्तिपुर थाना बरदह पर इलाज हेतु ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान तबियत में सुधार न होने पर परिजनों द्वारा अन्यत्र रेफर करने की बात कही गयी, किन्तु डॉक्टर द्वारा अपने पास ही इलाज किया जाता रहा तथा अन्यत्र रेफर नहीं किया गया। आरोप है कि उपचार में लापरवाही के कारण महिला की मृत्यु हो गयी। उक्त सूचना के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 159/26 धारा 105 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 09.05.2026 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त डा0 चन्द्रसेन यादव पुत्र श्री प्रकाश यादव निवासी कदनापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को सरायमोहन तिराहे से समय करीब 10:20 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

डा0 चन्द्रसेन यादव पुत्र श्री प्रकाश यादव निवासी कदनापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 159/26 धारा 105 बीएनएस थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
2. का0 रितेश कुशवाहा थाना बरदह, जनपद आजमगढ़